कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
तहसील डोईवाला

पत्रांक 554 वाद सं0–एल–0126/एस–डोईवाला/2026 दिनांक–21/09/26

श्री नत्थी सिंह, श्री यशपाल सिंह व श्री
हेमन्त पंचोली अन्य कम्मबोज कालोनी,
बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून

विपक्षी श्री नत्थी सिंह, श्री यशपाल सिंह व श्री हेमन्त पंचोली अन्य कम्मबोज कालोनी, बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून द्वारा स्थल पर बिना तलपट मानचित्र के स्थल पर लगभग 30–35 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु सडकों का निर्माण/चिन्हीकरण एवं भू–खण्ड का डिमार्केशन का कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.07.2026 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये वाद सं– एल–0126/एस–डोईवाला/26 योजित किया गया था। सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2026 नियत की गयी उक्त तिथि पर विपक्षी वाद पैरवी अनुपस्थित रहे। प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया अभियन्ताओ की आख्यानुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर प्लॉटिग सडक का चिन्हीकरण का कार्य के सम्बधं कोई भी स्वीकृत/शमनित तलपट मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। पुनः कार्यालय पत्र 1311 दिनांक 03.09.2026 को ध्वस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक 09.09.2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी उक्त तिथि को विपक्षी अनुपस्थित रहें। जानबुझकर वाद को लम्बित रखना चाहते है। जोकि न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवरण सुनवाई के अवसर प्रदान करने व उपलब्ध अभिलेखों एवं अभियन्तागण की आख्या के अध्ययन के आधार पर एवं धारा 27 (1) के प्राविधानों के अनुसार आपके द्वारा स्थल पर किये गये समस्त अवैध निर्माण विकास कार्य के विरूद्व ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत है। अत एव निम्न आदेश पारित किया जाते है:–

आदेश

विपक्षी श्री नत्थी सिंह, श्री यशपाल सिंह व श्री हेमन्त पंचोली अन्य कम्मबोज कालोनी, बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून द्वारा स्थल पर बिना तलपट मानचित्र के स्थल पर लगभग 30–35 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु सडकों का निर्माण/चिन्हीकरण एवं भू–खण्ड का डिमार्केशन का कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.07.2026 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण ध्वस्तीकरण करने के आदेश पारित किये जाते है। अतः विपक्षी पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर बिना अनुमति प्राप्त किये गये समस्त अनाधिकृत भू–विभाजन निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्त करना सुनिश्चित करें. अन्यथा भू–विभाजन निर्माण/विकास कार्य को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा जिस पर होने वाला समस्त व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः– आई.टी. अनुभाग को सूचनार्थ ।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।